

आवेदन प्ररूप – घरेलू/गैर घरेलू निम्न दाब विद्युत सेवा संयोजन हेतु
(10 किलोवाट भार तक के लिए)

नवीन विद्युत संयोजन/परिसर का स्थानान्तरण/संविदा मांग में परिवर्तन/ टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन/उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन (नामान्तरण) आदि
(जो सुसंबद्ध न हो, उसे कृपया काट दें)

प्रति,

महोदय,

मैं/हम, मेरे/हमारे परिसर के विद्युत संयोजन हेतु आवेदन करता हूँ/करते हैं।
आवश्यक जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है:

1. उपभोक्ता-

(क) आवेदक/संस्था का नाम : _____

(ख) पिता/पति/संचालक/
भागीदार/न्यासी का नाम : _____

(ग) परिसर का पूर्ण पता (पिन दर्शाते हुए)

जहां नवीन विद्युत संयोजन के : _____
लिए आवेदन किया जा रहा : _____
है/जहां विद्यमान संयोजन का : _____
स्थानान्तरण किया जाना प्रस्तावित : _____
है : _____

दूरभाष संख्या : _____

(एक) कारखाना/परिसर : _____

(दो) पंजीकृत कार्यालय
(डाक पता सहित) : _____

(तीन) निवास (डाक पता) : _____

ई-मेल पता : _____

बैंक खाता संख्या तथा बैंक का नाम (ऐच्छिक) :

विद्यमान स्वीकृत भार/संविदा मांग, यदि कोई हो :

सेवा संयोजन संख्या (विद्यमान संयोजन हेतु) :

2. परिसर का निर्मित क्षेत्रफल/भूखण्ड (प्लॉट) का क्षेत्रफल :

3. विद्युत प्रदाय की श्रेणी :

4. विद्युत प्रदाय का उद्देश्य :

5. विद्युत प्रदाय का प्रकार : स्थाई/अस्थायी
(जो लागू हो उस पर कृपया सही (✓) चिन्ह लगायें और जो लागू न हो उसे काट दें)
यदि अस्थायी हो तो अवधि का उल्लेख करें :-दिनांक _____ से _____ तक

6. संयोजन हेतु प्रस्तावित भार

(क) घरेलू संयोजन के लिए _____ वॉट
(कृपया संयोजित भार की गणना के लिए प्ररूप में जानकारी भरकर संलग्न करें)

(ख) गैर-घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता कृपया निम्न तालिका में विवरण भरें
(यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित सूची पृथक से संलग्न करें)

उपकरण	संयोजित भार प्रति उपकरण (वॉट में)	संख्या	कुल संयोजित भार (वॉट में)

(ग) यदि द्विभाग विद्युत-दर (two part tariff) का विकल्प चुना गया हो तो संविदा मांग की आवश्यकता _____ के.व्ही.ए. होगी (जानकारी भरें)।
यदि विद्युत प्रदाय की चरणबद्ध आवश्यकता हो तो प्रभावशील तिथि का उल्लेख करें -
दिनांक _____ से प्रभावशील किया जाए (दिनांक भरें)।

7. क्या अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्रान्तर्गत आवेदक के नाम पर कोई विद्युत बकाया राशि देय है : हां/नहीं

8. जहां विद्युत संयोजन हेतु आवेदन दिया गया है, उसके संबंध में क्या इस परिसर के विरुद्ध कोई विद्युत बकाया राशि देय है : हां/नहीं

9. कोई संस्था/कंपनी, जिसके साथ आवेदक स्वामी, भागीदार, संचालक या प्रबन्ध संचालक के रूप में संबद्ध है, के विरुद्ध अनुज्ञापिधारी के क्षेत्रान्तर्गत क्या कोई विद्युत बकाया राशि देय है : हां/नहीं
(क्रमांक 7, 8 एवं 9 के लिए यदि उत्तर "हां" में हो तो कृपया विवरण दें)
10. क्या परिसर के नक्शे (मानचित्र) में विद्युत की खपत के संबंध में परिसर की सीमाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है : हां/नहीं
11. मैं/हम एतद द्वारा यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि :
- (क) उपरोक्त प्ररूप में दिया गया विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य है।
- (ख) मैं/हम ने म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता की विषयवस्तु को पढ़ लिया है एवं उसमें उल्लिखित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं।
- (ग) मैं/हम प्रयोज्य विद्युत टैरिफ व अन्य प्रभारों के आधार पर विद्युत देयकों की राशि का भुगतान प्रति माह करूंगा/करेंगे।
- (घ) मैं/हम मापयन्त्र (मीटर), कट-आउट एवं संलग्न स्थापना की सुरक्षा एवं संरक्षण का उत्तरदायित्व लेता हूं/लेते हैं।
- (ङ) मैं/हम ने आवेदन प्ररूप के साथ सूची के अनुसार सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर दिये हैं। (यदि ऐसा नहीं किया गया हो तो कृपया कारण सहित विवरण संलग्न करें)

दिनांक : _____

आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान : _____

नोट :- आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रलेख संलग्न किये जाएं :

शहरी क्षेत्र में घरेलू तथा गैर-घरेलू संयोजन हेतु :

1. पहचान प्रमाण (पासपोर्ट/पैन कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र)
 2. आवास/परिसर संबंधी अभिलेख की छायाप्रति (किरायेदार होने पर किरायेदारी संबंधी अनुबंध पत्र/किराए की रसीद/आवेदक का किराएदार होने संबंधी शपथ-पत्र संलग्न करें)
 3. उपरोक्त के अतिरिक्त, यदि उपभोक्ता किसी शासकीय योजना से तत्संबंधी अनुदान (सब्सिडी) हेतु दावा प्रस्तुत करने का इच्छुक हो तो उसे यथास्थिति निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे।
- (क) घरेलू संयोजन हेतु गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) राशन कार्ड/बीपीएल (Below Poverty line) सूची का पंजीयन प्रमाण-पत्र (अगर आवेदक गरीबी रेखा

से नीचे जीवनयापन कर रहा हो और संयोजन प्रभारों के भुगतान से छूट प्राप्त करने का इच्छुक हो)

- (ख) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होने संबंधी प्रमाण-पत्र (ऐसे प्रकरण में जहां आवेदक ऊर्जा प्रभारों के भुगतान से छूट प्राप्त करने का इच्छुक हो)

परिशिष्ट-2

आवेदन प्ररूप निम्नदाब विद्युत सेवा संयोजन हेतु (10 किलोवाट से अधिक भार हेतु)

नवीन विद्युत संयोजन/परिसर का स्थानान्तरण/संविदा मांग में परिवर्तन/ टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन/उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन (नामान्तरण), आदि
(जो सुसंबद्ध न हो, उसे कृपया काट दें)

प्रति,

महोदय,

मैं/हम, मेरे/हमारे परिसर के विद्युत संयोजन हेतु आवेदन करता हूँ/करते हैं।
आवश्यक जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है:

1. उपभोक्ता

(क) आवेदक/संस्था का नाम : _____

(ख) पिता/पति/संचालक/
भागीदार/न्यासी का नाम : _____

(ग) परिसर का पूर्ण पता (पिन दर्शाते हुए)

जहां नवीन विद्युत संयोजन के : _____
लिए आवेदन किया जा रहा : _____
है/जहां विद्यमान संयोजन का : _____
स्थानान्तरण किया जाना प्रस्तावित : _____
है : _____

दूरभाष संख्या : _____

(एक) कारखाना/परिसर : _____

(दो) पंजीकृत कार्यालय
(डाक पता सहित) : _____

(तीन) निवास (डाक पता) : _____

ई-मेल पता : _____

बैंक खाता संख्या तथा बैंक का नाम (ऐच्छिक) :

विद्यमान स्वीकृत भार/संविदा मांग, यदि कोई हो :

सेवा संयोजन संख्या (विद्यमान संयोजन हेतु) :

2. परिसर का निर्मित क्षेत्रफल/भूखण्ड (प्लॉट) का क्षेत्रफल :

3. विद्युत प्रदाय की श्रेणी :

4. विद्युत प्रदाय का उद्देश्य :

5. विद्युत प्रदाय का प्रकार : स्थाई : अस्थायी
(जो लागू हो उस पर कृपया सही (✓) चिह्न लगायें और जो लागू न हो उसे काट दें)
यदि अस्थायी हो तो अवधि का उल्लेख करें :-दिनांक — से — तक

6. प्रस्तावित भार —

(क) घरेलू संयोजन हेतु (वाट)
(कृपया संयोजित भार की गणना के लिये प्ररूप में जानकारी भरकर संलग्न करें)

(ख) गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता कृपया निम्न तालिका में विवरण भरें
(यदि आवश्यक हो तो कृपया हस्ताक्षरित सूची पृथक से संलग्न करें)

उपकरण	संयोजित भार प्रति उपकरण (वॉट में)	संख्या	कुल संयोजित भार (वॉट में)

(ग) यदि द्विभाग विद्युत-दर (two part tariff) का विकल्प चुना गया हो तो संविदा मांग की आवश्यकता — के.व्ही.ए. होगी (जानकारी भरें)।

यदि विद्युत प्रदाय की चरणबद्ध आवश्यकता हो तो प्रभावशील तिथि का उल्लेख करें — दिनांक — से प्रभावशील किया जाए (दिनांक भरें)।

7. क्या अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्रान्तर्गत आवेदक के नाम पर कोई विद्युत बकाया राशि देय है : हां/नहीं

8. जहां विद्युत संयोजन हेतु आवेदन दिया गया है, उसके संबंध में क्या इस परिसर के विरुद्ध कोई विद्युत बकाया राशि देय है : हां/नहीं

9. कोई संस्था/कंपनी, जिसके साथ आवेदक स्वामी, भागीदार, संचालक या प्रबन्ध संचालक के रूप में संबद्ध है, के विरुद्ध अनुज्ञापिधारी के क्षेत्रान्तर्गत क्या कोई विद्युत बकाया राशि देय है : हां/नहीं
(क्रमांक 7, 8 एवं 9 के लिए यदि उत्तर "हां" में हो तो कृपया विवरण दें)

(क) _____

(ख) _____

(ग) _____

(घ) _____

10. क्या परिसर के नक्शे (मानचित्र) में विद्युत की खपत के संबंध में परिसर की सीमाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है : हां/नहीं

11. मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि :

(क) उपरोक्त प्ररूप में दिया गया विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य है।

(ख) मैं/हम ने म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता की विषयवस्तु को पढ़ लिया है एवं उसमें उल्लिखित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं।

(ग) मैं/हम प्रयोज्य विद्युत टैरिफ व अन्य प्रभारों के आधार पर विद्युत देयकों की राशि का भुगतान प्रति माह करूंगा/करेंगे।

(घ) मैं/हम मापयन्त्र (मीटर), कट-आउट एवं संलग्न स्थापना की सुरक्षा एवं संरक्षण का उत्तरदायित्व लेता हूं/लेते हैं।

(ङ) मैं/हम ने आवेदन प्ररूप के साथ सूची के अनुसार सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर दिये हैं। (यदि ऐसा नहीं किया गया हो तो कृपया कारण सहित विवरण संलग्न करें)

दिनांक : _____

आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान : _____

नोट :- आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रलेख संलग्न किये जाएं :

समस्त क्षेत्र में घरेलू तथा गैर-घरेलू संयोजन हेतु :

1. पहचान प्रमाण (पासपोर्ट/पैन कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र)
2. आवास/परिसर संबंधी अभिलेख की छायाप्रति (किरायेदार होने पर किरायेदारी संबंधी अनुबंध पत्र/किराए की रसीद/आवेदक का किराएदार होने संबंधी शपथ-पत्र संलग्न करें)

-
3. उपरोक्त के अतिरिक्त, यदि उपभोक्ता किसी शासकीय योजना से तत्संबंधी अनुदान (सब्सिडी) हेतु दावा प्रस्तुत करने का इच्छुक हो तो उसे यथास्थिति निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे।
- (क) घरेलू संयोजन हेतु गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) राशन कार्ड/बी.पी.एल. (Below Poverty line) सूची का पंजीयन प्रमाण-पत्र (अगर आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहा हो और संयोजन प्रभारों के भुगतान से छूट प्राप्त करने का इच्छुक हो)
- (ख) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होने संबंधी प्रमाण-पत्र (ऐसे प्रकरण में जहां आवेदक ऊर्जा प्रभारों के भुगतान से छूट प्राप्त करने का इच्छुक हो)

आवेदन प्ररूप -अति उच्चदाब /उच्चदाब/अन्य निम्नदाब सेवा संयोजन हेतु

नवीन विद्युत संयोजन/परिसर का स्थानांतरण/संविदा मांग में परिवर्तन/टैरिफ श्रेणी में
परिवर्तन/उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन, आदि
(जो सुसंबद्ध न हो, उसे कृपया काट दें)

प्रति,

महोदय,

मैं/हम, मेरे/हमारे परिसर के विद्युत संयोजन हेतु आवेदन करता हूँ/करते हैं।
आवश्यक जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है:

1. उपभोक्ता-

(क)आवेदक/संस्था का नाम : _____

(ख) पिता/पति/संचालक/
भागीदार/न्यासी का नाम : _____

(ग) परिसर का पूर्ण पता (पिन दर्शाते हुए)

जहां नवीन विद्युत संयोजन के : _____
लिए आवेदन किया जा रहा : _____
है/जहां विद्यमान संयोजन का : _____
स्थानान्तरण किया जानाप्रस्तावित : _____
है : _____

दूरभाष संख्या : _____

(एक) कारखाना/परिसर : _____

(दो) पंजीकृत कार्यालय
(डाक पता सहित) : _____

(तीन) निवास (डाक पता) : _____

ई-मेल पता : _____

बैंक खाता संख्या तथा बैंक का
नाम (ऐच्छिक) : _____

विद्यमान स्वीकृत भार/संविदा
मांग, यदि कोई हो

: _____

_____ {अति उच्च दाब (EHT)/उच्च दाब (HT)/ निम्न दाब (LT)}

सेवा संयोजन संख्या
(विद्यमान संयोजन हेतु)

: _____

निम्न दाब विद्युत प्रदाय (LT Supply)

2. परिसर का निर्मित क्षेत्रफल/
भूखण्ड (प्लॉट) का क्षेत्रफल

: _____

3. विद्युत प्रदाय की श्रेणी

: _____

4. विद्युत प्रदाय का उद्देश्य

: _____

5. विद्युत प्रदाय का प्रकार

: स्थाई/अस्थायी

(जो लागू हो उस पर कृपया सही (✓) चिह्न लगायें और जो लागू न हो उसे काट दें) यदि
अस्थायी हो तो अवधि का उल्लेख करें :-दिनांक _____ से _____ तक

6. संयोजन हेतु प्रस्तावित भार (वाट)

(कृपया निम्न जानकारी भरें)

(क) (संयोजित भार की गणना के लिए यदि आवश्यक हो तो कृपया हस्ताक्षरित सूची पृथक से
संलग्न करें)

उपकरण	संयोजित भार प्रति उपकरण (वॉट में)	संख्या	कुल संयोजित भार (वॉट में)

(ख) यदि द्विभाग विद्युत-दर (two part tariff) का विकल्प चुना गया हो तो संविदा मांग की
आवश्यकता _____ के.व्ही.ए. होगी (जानकारी भरें)।

यदि विद्युत प्रदाय की चरणबद्ध आवश्यकता हो तो प्रभावशील तिथि का उल्लेख करें – दिनांक
_____ से प्रभावशील किया जाए (दिनांक भरें)।

अति उच्च दाब/उच्च दाब विद्युत प्रदाय (EHT/HT supply)

7. वोल्टेज जिस पर विद्युत प्रदाय की आवश्यकता है : _____ (के.व्ही)

11 के.व्ही.	33 के.व्ही.	132 के.व्ही.	220 के.व्ही.
-------------	-------------	--------------	--------------

8. विद्युत प्रदाय का प्रकार : अस्थायी/स्थायी/वैकल्पिक (स्टैंडबाय)/ कैप्टिव विद्युतउत्पादक अथवा जनरेटर के ग्रिड से समकालन (synchronization) के लिये

{जो श्रेणी लागू न हो उसे काट दें और जो लागू हो उस पर सही चिन्ह (✓) लगायें}
स्थायी विद्युत-प्रदाय से अतिरिक्त के लिए अवधि निर्दिष्ट करें : दिनांकसेतक

9. आवेदक उपभोक्ता द्वारा स्थापना (Installation) के लिए अब तक उठाये गये कदम :

- (क)
(ख)
(ग)
(घ)

10. अपेक्षित संविदा मांग के प्रक्षेपण का आधार

(क) माना गया विविधता कारक (Diversity Factor)

(ख) कुल संयोजित भार
मशीनों की सूची संलग्न करें

11. क्या संयोजन की प्राप्ति विभिन्न
चरणों में अपेक्षित है

12. संविदा मांग (Contract Demand) की चरणबद्धता

क्रमांक	वांछित संविदा मांग (के.व्ही.ए. में)	संभावित दिनांक जब से आवश्यकता है	अभ्युक्ति

टीप :-संविदा मांग के चरणों की संभावित तिथियां करार/अनुबंध (agreement) की प्रारंभिक अवधि के समाप्त होने के पश्चात नहीं होनी चाहिए

13. स्थापना (Installation) का प्रयोजन :

14. टैरिफ की चयनित श्रेणी :
(टैरिफ आदेश के अनुसार)

15. उत्पादन प्रारंभ होने की संभावित तिथि :

16. उद्योग की श्रेणी : लघु/मध्यम/वृहद् (SSI/MSI/LSI)

{जो लागू न हो उसे काट दें और जो लागू हो उस पर सही चिन्ह (✓) लगायें}

17. भूमि के अधिग्रहण की अद्यतन स्थिति :
(स्वामित्व तथा वैधानिक स्वीकृतियों
का प्रमाण प्रस्तुत करें) :
:

18. वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध होने की संभावित तिथि : _____
19. क्या म.प्र. राज्य प्रदूषण निवारण मंडल से वैधानिक अर्हताओं के अनुसार आवश्यक अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) (जहां लागू हो) प्राप्त कर लिया गया है ? यदि उत्तर हां में हो, तो प्रतिलिपि संलग्न करें) _____

समस्त उपभोक्ताओं हेतु :

20. क्या अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्रान्तर्गत आवेदक के नाम पर कोई विद्युत बकाया राशि देय है : हां/नहीं
21. जहां विद्युत संयोजन हेतु आवेदन दिया गया है उसके संबंध में क्या इस परिसर के विरुद्ध कोई विद्युत बकाया राशि देय है : हां/नहीं
22. कोई संस्था/कंपनी, जिसके साथ आवेदक स्वामी, भागीदार, संचालक या प्रबन्ध संचालक के रूप में संबद्ध है, के विरुद्ध अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्रान्तर्गत क्या कोई विद्युत बकाया राशि देय है : हां/नहीं
- (क्रमांक 20, 21, एवं 22 के लिए यदि उत्तर "हां" में हो तो कृपया विवरण संलग्न करें)
23. क्या परिसर के नक्शे (मानचित्र) में, विद्युत की खपत के संबंध में परिसर की सीमाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है : हां/नहीं
24. मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि
- (क) उपरोक्त प्ररूप में दिया गया विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य है।
- (ख) मैं/हम ने म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता की विषयवस्तु को पढ़ लिया है एवं उसमें उल्लिखित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं।
- (ग) मैं/हम प्रयोज्य विद्युत टैरिफ व अन्य प्रभारों के आधार पर विद्युत देयकों की राशि का भुगतान प्रति माह करूंगा/करेंगे।
- (घ) मैं/हम मापयन्त्र (मीटर), कट आउट एवं संलग्न स्थापना की सुरक्षा एवं संरक्षण उत्तरदायित्व लेता हूं/लेते हैं।
- (ङ) मैं/हम ने आवेदन प्ररूप के साथ सूची के अनुसार सभी आवश्यक अभिलेख संलग्नकर दिये हैं (यदि ऐसा नहीं किया गया है तो कृपया कारण सहित विवरण संलग्न करें)

दिनांक : _____

स्थान : _____

आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

टीप :- आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रलेख संलग्न करें :-

1. परिसर के स्वामित्व/कानूनी अधिभोग (occupancy) संबंधी प्रमाण।
2. संयंत्र (प्लांट)/कार्यालय के प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित विद्युत प्रदाय के बिन्दु को दर्शाता हुआ मानचित्र। उच्चदाब संयोजन हेतु मानचित्र का माप सामान्यतः 1 से.मी. =1200 से.मी. के अनुपात को प्रदर्शित करने वाला होना चाहिए।
3. यदि आवश्यक हो तो वैधानिक अधिकारी से अनुज्ञप्ति (लायसेंस)/अनापत्ति प्रमाण-पत्र या आवेदक का घोषणा-पत्र कि उसके संयोजन के लिये किसी प्रकार की वैधानिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
4. आवेदक यदि स्वयं की संस्था के लिये विद्युत संयोजन चाहता हो तो एक शपथ पत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि उक्त संस्था का वह स्वयं स्वामी है।
5. भागीदारी संस्था के मामले में भागीदारी संबंधी अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. मर्यादित (लिमिटेड) कंपनी के मामले में संस्था की ज्ञापन-पत्र आदि नियमावली एवं स्थापना प्रमाण-पत्र की प्रति (Memorandum and Articles of Association and Certificate of Incorporation)
7. कृषि उपभोक्ताओं के मामले में खसरा/बही की नकल संलग्न की जाए।
8. आवेदक/उपभोक्ता के स्थायी निवास के पते का प्रमाण एवं आवेदक/ उपभोक्ता का आयकर विभाग का स्थायी लेखा क्रमांक (पैन), यदि कोई हो। भविष्य में स्थायी निवास के पते में परिवर्तन होने पर आवेदक/उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को तत्काल इसके बारे में सूचना देनी होगी।
9. औद्योगिक संयोजन हेतु, उत्पादन/उत्पादन में वृद्धि के लिए आशय-पत्र (Letter of Intent)।
10. प्रस्तावित उपकरणों की सूची, अपेक्षित भार दर्शाते हुए।
11. जहां संयोजन फर्म, लिमिटेड/प्रायवेट लिमिटेड फर्म, कम्पनी आदि के नाम से चाहा गया हो, के प्राधिकार के संबंध में संकल्प पत्र (रिसोल्यूशन)
12. उद्योग विभाग का पंजीकरण प्रमाण-पत्र, जहां यह लागू हो।
13. परियोजना प्रतिवेदन का वह भाग, जो उद्योग की विद्युत आवश्यकताओं तथा प्रसंस्करण की प्रक्रिया से संबंधित हो (उद्योगों के प्रकरण में)।
14. चालू टैरिफ आदेश के सुसंबद्ध उद्धरण की प्रतिलिपि जो उपभोक्ता द्वारा चयनित विद्युत-दर श्रेणी का विवरण दर्शाती हो, को यथाहस्ताक्षरित संलग्न किया जाए। औपचारिकताएं पूर्ण होने पर इसे अनुबंध का भाग मानते हुए अनुबंध के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया जाएगा।